

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2180/2026**

शहजाद खान

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....विरोधी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता	: सुरेश कुमार यादव, पूनम
विरोधी पक्ष के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13**माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. श्री आशीष रमन मिश्रा, अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकालतनामा तथा प्रति शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. इस आवेदन के माध्यम से आवेदक, जो कि वाद अपराध संख्या 45/2025 में धारा 87, 142, 64 बी.एन.एस. (जो पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धाराएं 366, 368 एवं 376 के समतुल्य हैं) तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5, थाना रामगंज, जनपद अमेठी के अंतर्गत अभियुक्त है, विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना कर रहा है।
4. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 02.05.2025 को बी.एन.एस. की धाराएं 87, 142, 64 (पूर्ववर्ती आईपीसी की धाराएं 366, 368 एवं 376 के समतुल्य) तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत चार नामजद अभियुक्त व्यक्तियों, जिनमें वर्तमान आवेदक भी सम्मिलित है, के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिकायतकर्ता की लगभग 22 वर्ष आयु की पुत्री का विवाह दिनांक 06.05.2025 को होना निर्धारित था। वह दिनांक 24.04.2025 को लगभग प्रातः 10 बजे कुछ सामान लेकर घर से गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी। दिनांक 27.04.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा इस बीच जानकारी प्राप्त हुई कि आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्त शिकायतकर्ता की पुत्री से बाहर मिलते थे। उन्होंने उसका अपहरण कर लिया तथा उसका पासपोर्ट तैयार कराया। शिकायतकर्ता को दृढ़ विश्वास है कि एफआईआर में नामित अभियुक्तों ने उसकी पुत्री का अपहरण किया है तथा धर्म परिवर्तन कराने के पश्चात वे उसके साथ कोई गलत कार्य करेंगे।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित पीड़िता की आयु लगभग 25 वर्ष है, जबकि एफआईआर में गलत रूप से उसकी आयु 22 वर्ष अंकित की गई है।

6. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता अर्थात प्रतिवादी संख्या 3 ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने तथा उसकी लज्जाभंग करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत उसका बयान 06.05.2025 को दर्ज किया गया तथा 07.05.2025 को उसका मज़ीद बयान दर्ज किया गया, जिसमें पहली बार पीड़िता ने यह कहा कि उसके साथ शारीरिक मारपीट की गई थी। यही बयान उसने 08.05.2025 को मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दिया। अतः पीड़िता के बयानों में विरोधाभास एवं चूकें हैं, क्योंकि उसकी लज्जा भंग करने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप पहली बार उसके मज़ीद बयान में सामने आए हैं।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता 04.05.2025 को घर पहुँच गई थी तथा 05.05.2025 को जब उससे चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए कहा गया, तो उसने इससे इंकार कर दिया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने एक प्रतिशपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि अभियुक्त ने न तो उसका अपहरण किया, न उसकी लज्जा भंग की और न ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिशपथपत्र में यह भी कहा गया है कि परिवार के सदस्यों तथा उसके भाई द्वारा परिणाम भुगतने की धमकी दिए जाने के दबाव में उसने अपना बयान बदल दिया और अभियुक्त के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए। इस संबंध में उसने दिनांक 10/12.05.2025 को पुलिस अधीक्षक, अमेठी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। उसकी प्रति आज दाखिल किए गए प्रतिशपथपत्र के साथ सीए-1 के रूप में संलग्न की गई है।

10. अंत में, अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

11. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान अभियुक्त की जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, विशेष रूप से इस न्यायालय के समक्ष स्वयं पीड़िता द्वारा दाखिल प्रतिशपथपत्र के परिप्रेक्ष्य में।

12. प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवार के सदस्यों के दबाव तथा उसके भाई द्वारा उसे जान से मारने की धमकी के कारण उसने अपने मज़ीद बयान में अपना कथन बदल दिया।

13. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पीड़िता द्वारा दाखिल प्रतिशपत्र का अवलोकन करने पर, जिसमें उसने इस न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक कहा है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों और भाई के दबाव में अभियुक्त के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए थे, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने न तो उसका अपहरण किया, न उसकी लज्जा भंग की और न ही उसे धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। उसने मज़ीद बयान के दो दिनों के भीतर ही इस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंध में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भी दिया था। अतः प्रथम दृष्टया अभियोजन का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य उपयुक्त मामला है।

14. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक **शहजाद खान** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा।
- (vi) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन का अनुरोध नहीं करेगा।
- (viii) आवेदक धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

17. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

31 मार्च, 2026

आशीष

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।